ालय

ा

फर्द अहकाम

कैलाश बनाम — चन्द्रप्रकाश

4/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
3/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] [illegible] प्रार्थना पत्र 111, 128 सुनी गई [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है [illegible] [illegible] से [illegible] शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:57:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :4 / 2022
निर्णय दिनांक : 03.06.2024

1. कैलाश चन्द पुत्र मालीराम
2. मनमोहन पुत्र मालीराम
3. सुनील कुमार पुत्र मालीराम
4. नूतन पत्नी सुनील
5. विमला पत्नी कैलाश
6. हंसा देवी पत्नी बाबूलाल समस्त जाति जांगिड निवासी ग्राम दहमीकंला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री गंगाबक्स
2. देवी लाल पुत्र गंगाबक्स
3. श्रवण लाल पुत्र गंगाबक्स समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवारी ग्राम दहमीकला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल
5. कल्याण पुत्र बोदया
6. चन्द्रमोहन पुत्र बोदया
7. निरंजन पुत्री रामजीलाल नाबालिक जरिये सरक्षक माता खेतीदेवी
8. मु खेती देवी पत्नी रामजीलाल
9. राहुल मीणा पुत्र रामजीलाल

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम दंहमीकला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
राज. सरकार के माध्यम से उपतहसीलदार वगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रिकार्ड धारा 128 सप्त धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 517, 520, 521, 522, 549, 550 कुल किता 6 कुल रकबा 2.08 हैक्टेयर वाके ग्राम वडी का खेडा, पटवार हल्का दहमीकंला तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित है जिसके खातेदार प्रार्थीगण हैं। दिनांक 24/7/2020 को श्रीमान् उपतहसीलदार साहब बगरू के आदेश क्रमांक भू.अ./2020/490–492 दिनांक 19–06–2020 की पालना में ग्राम खसरा नम्बर 517, 520, 521, 522, 549, 550 कुल किता 6 कुल रकबा ... वाके ग्राम वडी का खेडा, पटवार हल्का देहमीकंला तहसील सांगानेर जिला जयपुर की सीमाज्ञान की गई और प्रार्थीगण की सीमाओं को जरिये मुस्तकिल चिन्हों के द्वारा सीमाकंन किया गया। लेकिन प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पडौसी खातेदार काश्तकार द्वारा प्रार्थीगण की उक्त भूमि में जबरन मजाहमत करने के कारण तथा प्रार्थीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:57:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अपनी सीमाओं को महदूद करने की गुरेज से पत्थरगढी करवाना अत्यन्त आवश्यक हो गया हैं। इसलिए प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि की नियमानुसार पत्थरगढी किया जाना नितान्त आवश्यक हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 मुतदाविया आराजी के पडोसी खातेदार काश्तकार होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्रार्थीगण अपनी खेत सीमा को सुरक्षित रखने व पडोसी खातेदरो से लडाई झगडे से निजात पाने के लिये उक्त भूमि की पत्थरगढी किया जाना कानूनी आवश्यकीय है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि 517, 520, 521, 522, 549, 550 कुल किता 6 कुल रकबा 2.08 हैक्टेयर वाके ग्राम बडी का खेडा, पटवार हल्का दहमीकंला तहसील सांगानेर जिला जयपुर की पत्थरगढी जरिये पुलिस ईमदाद किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 व 9 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 8 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 ने प्रार्थना पत्र के जवाब में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली में बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया।

बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण की वाके ग्राम बडी का खेडा, पटवार हल्का दहमीकंला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि 517, 520, 521, 522, 549, 550 कुल किता 6 कुल रकबा 2.08 हैक्टेयर का समस्त उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 04.07.2020 के अनुसार पत्थरगढी की जावें। दौराने पत्थरगढी काननू व्यवस्था को ध्यान रखा जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

...धिकारी
उपखण्ड अधि... मजिस्ट्रेट
जयपुर-...(सांगानेर)
जयपुर

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:57:47 IST
Reason: SelfAttested